पूर्व-अदायगी [illegible]

पत्री क्रमांक भोपाल डिवीजन
[illegible]

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जून 1997— ज्येष्ठ 29, शके 1919

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 1997

क्र. 19-53-87-बारह-2.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच-क)—'निर्धारण अधिकारी' से अभिप्रेत है जिले में पदस्थ खनि अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी तथा खनि [illegible]."

(दो) खण्ड (नौ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(नौ-क)— 'निगम' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में दिया गया है."

(तीन) खण्ड (बाईस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(बाईस-क)— 'नगरपालिका' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में दिया गया है.''.

(चार) खण्ड (छब्बीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(छब्बीस-क)—'विशेष क्षेत्र' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) में दिया गया है.''.

(2) नियम 5 के उपनियम (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ग) जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से 75 मीटर, ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर एवं नाले से 25 मीटर या किसी सार्वजनिक स्थान से 50 मीटर के भीतर प्रदान नहीं किया जाएगा.''.

(3) नियम 6 में, वर्तमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)		खनिज (3)		शक्तियों की सीमा (4)
1	राज्य सरकार	(एक)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	सम्पूर्ण शक्तियां
		(दो)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
2	संचालक	(एक)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(दो)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
3	कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ आई. ए. एस. स्केल)	(एक)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से कम हो.
		(दो)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से कम हो.
		(तीन)	अनुसूची ''एक'' के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से कम हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
		(चार) अनुसूची "दो" के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज मिट्टी, केवल चिमनी भट्टा में ईंट तथा कवेलू बनाने हेतु.	(चार) सम्पूर्ण शक्तियां
		(पांच) अनुसूची "दो" में विनिर्दिष्ट समस्त खनिज केवल निगम, नगरपालिका एवं विशेष क्षेत्र.	(पांच) सम्पूर्ण शक्तियां
		(छः) अनुसूची "दो" के अनुक्रमांक 1 तथा अनुक्रमांक 3 से अनुक्रमांक 12 तक में विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र के भीतर खनिज.	(छः) जहां खदान का औसत वार्षिक मूल्य रुपये 10,00,000 (दस लाख) से अधिक हो.

(4) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"8. **नई खदानों के सीमांकन के लिए प्रक्रिया.**—पंचायत, जिले के कलक्टर के परामर्श से, अनुसूची "दो" में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में नई खदानें सीमांकित तथा घोषित कर सकेगी.".

(5) नियम 9 के खण्ड (ठ) में, शब्द "जिले के प्रभारी" के स्थान पर शब्द "जिले के खनि शाखा के प्रभारी या" स्थापित किए जाएं.

(6) नियम 10 के उपनियम (2) में, शब्द "उसे वापस कर दी जाएगी" के स्थान पर शब्द "कलक्टर/अपर कलक्टर द्वारा उसे वापस कर दी जाएगी" स्थापित किए जाएं.

(7) नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"11. **आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी.**—खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में जिले के कलक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और उस पर वह दिनांक अंकित करेंगे जिसको आवेदन पत्र उनके द्वारा प्राप्त किया गया."

(8) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"12. **कतिपय क्षेत्रों की उपलब्धता.**—अनुसूची "एक" के अनुक्रमांक 1 से 4 के खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जो उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व में धारित हो या धारण किया जा रहा क्षेत्र हो या जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने के आदेश हो चुके हैं किन्तु किसी कारण से पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया हो तथा जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने बाबत् आदेश प्रतिसंहृत किया गया हो या जिसके संबंध में उत्खनन पट्टा आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया हो कि उस क्षेत्र को किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना हो तब तक कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह तारीख, जिससे कि ऐसा क्षेत्र पट्टा प्रदान करने के लिये उपलब्ध होगा, अग्रिम में कम से कम 30 दिन पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित न कर दिया गया हो:

परन्तु राज्य सरकार किसी विशेष मामले में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियम के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी."

(9) नियम 15 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) उपनियम (2) के अधीन फीस, नियम 10 के उपनियम (3) में विहित की गई मांग के अनुसार जमा की जाएगी."

(10) नियम 18 में,—

(एक) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) मंजूरी प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर/नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र में पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के पूर्व उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा, नवीकरण कर सकेगा या उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त हुआ समझा जाएगा:

परन्तु नये क्षेत्र के लिए कोई उत्खनन पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत की राय अभिप्राप्त किये बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा."

(दो) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) जहां आवेदक की, जिसने उत्खनन पट्टा प्रदान करने या नवीकरण हेतु आवेदन किया है, स्वीकृति आदेश पारित होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां वह आवेदक के वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा और स्वीकृति या नवीकरण आदेश के बाद किन्तु पट्टा विलेख निष्पादित के पूर्व यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक के वैध वारिस को पट्टा स्वीकृत या नवीकृत किया गया समझा जाएगा."

(11) नियम 23 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) कोई भी पट्टेदार चूनापत्थर (गौण खनिज) संगमरमर और फर्शी पत्थर के संबंध में राज्य में कुल मिलाकर नीचे यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अनधिक क्षेत्र साधारणत: धारण नहीं करेगा—

(क) सहकारी सोसायटी/सहयोजन/कम्पनियों को	10 हेक्टर
(ख) व्यक्तिगत	4 हेक्टर

स्पष्टीकरण.—उपरोक्त सीमा साधारणत: नवीकरण के मामलों में भी लागू होगी."

(12) नियम 25 में,—

"(एक) उपनियम (1) में, शब्द "और चूनापत्थर तथा अनुसूची "एक" में विनिर्दिष्ट अन्य खनिजों और अनुसूची "दो" में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टे के संबंध में रुपये एक हजार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेगा, "के स्थान पर शब्द," और चूनापत्थर तथा अनुसूची "एक" में विनिर्दिष्ट अन्य खनिजों और अनुसूची "दो" में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन के पट्टे के संबंध में रुपये एक हजार प्रतिभूति निक्षेप के रूप में नियम 10 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट की गई रीति में जमा करेगा," स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) यदि उपनियम (1) के अधीन जमा किया गया निक्षेप इन नियमों के अधीन समपहृत नहीं हुआ है और पट्टेदार के विरुद्ध कोई शोध्य बाकी नहीं है तो ऐसे पट्टे के अवसान होने पर या पर्यवसान हो जाने पर, जो भी पूर्वतर हो, कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा वापिस किया जाएगा."

(13) नियम 30 में,—

"(एक) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा:—

(ख) पट्टेदार प्रत्येक खनिज के लिये अनिवार्य भाटक या स्वामित्व का, जो भी रकम, अधिक हो, भुगतान करेगा, परन्तु जैसा कि जैसे ही पट्टेदार द्वारा खपाये गये या परिवहन किये गये खनिज का स्वामित्व पूर्व में भुगतान किये गये अनिवार्य भाटक की रकम के बराबर हो जाता है वह पट्टा क्षेत्र से खपाये या परिवहन किये जाने के लिये आशयित खनिज के संबंध में स्वामित्व का भुगतान करेगा. अनिवार्य भाटक या स्वामित्व कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा किया जाएगा."

(दो) उपनियम (15) में, निम्न परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु इस उपनियम के उपबंध नियम (3) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये लागू नहीं होंगे.".

(14) नियम 35 के उपनियम (1) के परन्तुक में कोष्ठक तथा शब्द "(रुपये एक हजार)" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(रुपये एक हजार) नियम 10 के उपनियम (3) में विहित की गई रीति के अनुसार भुगतान करने पर" स्थापित किए जाएं.

(15) नियम 37 में शब्द "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "यथा स्थिति संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत" स्थापित किए जाएं.

(16) नियम 38 में, उपनियम (1) में—

(एक) शब्द "या उसके नवीकरण" का लोप किया जाए.

(दो) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" स्थापित किये जाएं.

(17) नियम 47 में, शब्द "इन नियमों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "नियम 44 से 50 तक के" स्थापित किए जाएं.

(18) नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"नियम 56 **राजस्व का जमा किया जाना.**—(1) पंचायतों द्वारा स्वीकृत गौण खनिजों की खदानों से संबंधित अनिवार्य भाटक स्वामित्व (रायल्टी) भूतल भाटक, ब्याज और अन्य कोई शास्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त राजस्व संबंधित पंचायत की निधि में जमा किया जाएगा.

(2) पंचायतों द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्र के अतिरिक्त ऐसी गौण खनिजों की खदानें जो पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित हों या संबंधित अनिवार्य भाटक, स्वामित्व (रायल्टी), भूतल भाटक, ब्याज और कोई अन्य शास्तियां प्रथमत: संबंधित क्षेत्र की जिला पंचायत निधि में जमा किया जाएगा. तत्पश्चात् जिला पंचायत निधि का नियंत्रण करने वाले नियमों तथा राज्य शासन द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार उसे वितरित किया जाएगा.

(3) निगम, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर गौण खनिजों से प्राप्त समस्त राजस्व जैसे— अनिवार्य भाटक स्वामित्व (रायल्टी), भूतल भाटक, ब्याज और कोई अन्य शास्तियां संबंधित स्थानीय निकायों में जमा की जाएगी.

(19) नियम 57 में,—

(एक) नियम 57 के उपनियम (2) एवं (3) में शब्द ''इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश'' के स्थान पर ''इन नियमों के अधीन पारित या पारित किए गए समझे गये प्रत्येक आदेश'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(4) इन नियमों के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा पारित किए गए या पारित किए समझे गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिये, राज्य सरकार को आवेदन करेगा.''

(20) नियम 68 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''68. **केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों के लिए गौण खनिज हटाने हेतु अनुज्ञा.**—(1) (एक) संबंधित पंचायत किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से कोई भी गौण खनिज, जिनकी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के कार्यों के लिये आवश्यकता हो, उत्खनन करने, हटाने तथा परिवहन करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी. ऐसी अनुज्ञा या तो संबंधित विभागीय प्राधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने बाबत् सबूत देने पर दी जाएगी.

(दो) कलेक्टर/अपर कलेक्टर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत एवं विशेष क्षेत्रों से ही किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से कोई भी गौण खनिज जिनकी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के कार्यों के लिये आवश्यकता हो, उत्खनन करने, हटाने या परिवहन करने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा. ऐसी अनुज्ञा या तो संबंधित विभागीय प्राधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने बाबत् सबूत देने पर दी जाएगी.

(2) एक बार में ऐसी अनुज्ञा 30 दिन की अवधि से और 500 घन मीटर मात्रा से अधिक नहीं होगी.

(3) ऐसी अनुज्ञा केवल तब ही दी जाएगी जबकि अनुसूची ''तीन'' में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित स्वामिस्व अग्रिम में भुगतान कर दिया गया हो, तब प्ररूप-नौ में अभिवहन पास जारी किया जाएगा.

(4) ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित होगी:—

(क) अनुज्ञापत्र धारक उस क्षेत्र से हटाये गए या परिवहन किए गए खनिज का पूर्ण तथा सही लेखा रखेगा.

(ख) अनुज्ञापत्र धारक, जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को एवं कलक्टर/अपर कलक्टर द्वारा दी गई अनुज्ञा के संबंध में कलक्टर/अपर कलक्टर/उप संचालक/ खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक को उत्खनन संक्रियाओं का निरीक्षण करने तथा लेखाओं का सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा.

(ग) जैसे ही अनुज्ञात मात्रा का परिवहन और दिन की कालावधि के भीतर या उससे पहले किया जाता है, वैसे ही अभिवहन पासों की द्वितीय प्रति या उपयोग में न लाये हुए ऐसे समस्त अभिवहन पासों सहित, परिवहन की गई मात्रा का पूर्ण विवरण, जो कि संबंधित विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, मंजूरी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.''

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 1997

क्र. बी.25-18-97-पीडब्ल्यूसी-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 47 में :—

(एक) उप नियम (2) के खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "परन्तु नियम 34 में निर्दिष्ट पेंशन को छोड़कर" लोप किए जाएं,

(दो) उप नियम (15) के खण्ड (ग) का लोप किया जाय.

(2) यह संशोधन 20 मई, 1997 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. 25-18-97-PWC-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) in rule 47 :—

(i) in clause (b) of sub rule (2), the words and figures "other than the Pension referred to in Rule 34" shall be omitted.

(ii) clause (c) of sub-rule (15), shall be omitted.

(2) This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 20th May, 1997.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. सिंघल, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1998

क्र.19-53-87-बारह-2.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 21 के उप नियम (2) के खंड (चार) के विद्यमान परंतुक के पूर्व एवं नियम 38 के उप नियम (4) पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परन्तु यह कि खंड (एक), (दो), (तीन) तथा (चार) में उपबंधित किए गए अनुसार अनन्य रूप से महिलाओं की सहकारी सोसाइटी/सहयोजन (एसोसिएशन) या किसी महिला को उसी क्रम में अन्य आवेदकों पर अधिमानी अधिकार होंगे.

(दो) नियम 21 के उप नियम (2) के खंड (चार) के विद्यमान परन्तुक में, शब्द "परन्तु यह कि" के स्थान पर शब्द "परन्तु यह और कि" स्थापित किए जाएं.

No.19-53-87-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957

(No. 67 of 1957), the State Gove ent hereby makes th following further amendment in the Madhya Pradesh Min Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(i) before the existing proviso to clause (iv) of sub-rule (2) of rule 21 and after sub-rule (4) of rule 38 the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that exclusive Co-operative Society/ Association of Women or an individual woman shall have the preferential right over other applicants in the same order as provided in clause (i), (ii), (iii) and (iv)."

(2) in the existing proviso to clause (iv) of sub-rule (2), of rule 21, for the words "provided that" the words "provided further that" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के . दलेला, सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2003—भाद्र 18, शक 1925

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2003

अधिसूचना

क्रमांक 7-22/2003/एम.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम-21 में,—

(एक) नियम 21 के उप नियम (1) का लोप किया जाय.

(दो) नियम 21 के उप नियम (3) के खण्ड (पांच) के पश्चात् प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"उप नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंजूरी प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट अग्रता क्रम में फेर-फार करते हुए कोई पट्टा प्रदान करने के लिए सक्षम होगा".

Raipur, the 9th September 2003

NOTIFICATION

No. 7-2/2003/M.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the amendments in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In rule-21 of the said rules,—

(i) The sub-rule (1) of rule 21 shall be omitted.

(ii) After clause (V) of sub rule (3) of rule 21 for the first para the following para shall be substituted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), it shall be competent for the Sanctioning Authority for reasons to be recorded in writing and with the prior apporval of the State Government to grant a lease in variance with the order of priority specified in sub-rule (2)".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, विशेष सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

संशोधन

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर 2005—भाद्र 10, शक 1927

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नलिखित दरें स्थापित की जाय.

2. ये संशोधित दरें तारीख 1-9-2005 से लागू होंगी.

अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है :—	
	(क) काला रंग	रु. 750 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रु. 400 प्रति घनमीटर
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रु. 200 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	रु. 75 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रु. 75 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रु. 15 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर—	
	(क) बोल्डर	रु. 30 प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	रु. 40 प्रति घनमीटर
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रु. 40 प्रति घनमीटर
8.	मिट्टी-ईंट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रु. 15 प्रति घनमीटर
9.	अन्य गौण खनिज	रु. 30 प्रति घनमीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 27-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2005

NOTIFICATION

No. 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996 namely,

AMENDMENT

In the said Rules,

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.

2. It shall come in to force from the date of 1-9-2005.

SCHEDULE-III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	Rs. 750/- per cu.mt.
	(b) Other colour	Rs. 400/- per cu. mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 200/- per cu. mt.
3.	Marble stone for other purpose	Rs. 75/- per cu. mt.
4.	Flagstone Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 75/- per cu. mt.
6.	Murrum	Rs. 15/- per cu. mt.
7.	Stone :—	
	(a) Boulder	Rs. 30/- per cu. mt.
	(b) Gitti, roadmetal	Rs. 40/- per cu. mt.
	(c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	Rs. 40/- per cu. mt. (except lime stone)
8.	Soil-For making bricks and tiles	Rs. 15/- per cu. mt.
9.	Other minor minerals	Rs. 30/- per cu. mt.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

“बिलासपुर पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मार्च 2006—फाल्गुन 13, शक 1927

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गौण खनिज रेत के व्यवसाय के विनियमन हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नानुसार दरें स्थापित किया जाए :-

2. ये संशोधित दरें तारीख 1 अप्रैल, 2006 से लागू होंगी.

अनुसूची—तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

अनु. क्र. (1)	खनिज (2)	दरें (3)
5	साधारण रेत बजरी	रु. 15 प्रति घन मीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12, दिनांक 2-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd March 2006

NOTIFICATION

No. F-7-7/2004/12.— In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules.—

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.
2. It shall come into force from the date of 1st April, 2006.

SCHEDULE—III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
5	*Ordinary Sand, bajri	Rs. 15 per cu. m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 4 सहपठित नियम 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(एक) इन निर्देशों का संक्षिप्त नाम छ. ग. गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 है.

(दो) ये निर्देश 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं :—

इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, छ. ग. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 2 में अभिप्रेत परिभाषाएं यथावत लागू होंगी.

3. कोई भी व्यक्ति छ. ग. राज्य के किसी भी क्षेत्र में, इन निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन कार्य कर सकेगा. परन्तु इन निर्देशों की कोई भी बात इनके लागू होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी अनुज्ञा, उत्खनन पट्टा, व्यापारिक खदान या स्वामित्व (रायल्टी) खदान को लागू नहीं होगी, जो इन निर्देशों के लागू होने के समय प्रवृत्त थी.

4. गौण खनिज रेत के खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें :—

(1) संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय जिसके क्षेत्र में रेत खदान स्थित है, को रायल्टी भुगतान कर गौण खनिज रेत का उत्खनन किया जा सकेगा. संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रायल्टी का संग्रहण तथा रेत खदानों की व्यवस्था स्वतः करेंगी. इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा.

(2) रेत की चालू खदानों को जिले के कलेक्टर द्वारा चिन्हित, सीमांकित कर अधिसूचित किया जाएगा तथा उन्हें विशिष्ट नाम दिया जाएगा, ताकि एक ही क्षेत्र में स्थित एक से अधिक रेत खदानें होने पर उन सभी खदानों को आसानी से पहचान की जा सके. अधिसूचना की एक प्रति कलेक्टर द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जाएगी.

(3) प्रदेश में स्थित रेत की समस्त वर्तमान खदानें उनसे वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में प्राप्त अनुमानित औसत रायल्टी राशि के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के नियंत्रण में दी जाएगी.

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 05 लाख अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संबंधित ग्राम पंचायत के अधीन की जाएगी.

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 05 लाख से अधिक अनुमानित वार्षिक रायल्टी वाली खदानें संबंधित जनपद पंचायत के अधीन की जाएगी.

(ग) किसी नगरीय निकाय की सीमा में स्थित रेत खदान संबंधित नगरीय निकाय के अधीन की जाएगी.

(4) प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्राप्त रायल्टी के आधार पर खदानों को पुनः ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायतों के अधीन राशि करने बाबत आगामी तीन वर्षों के लिए निर्णय किया जाएगा.

(5) कलेक्टर द्वारा अधिसूचित रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति, संस्था या ठेकेदार शासन द्वारा अधिसूचित रायल्टी जमा करने पर रेत उत्खनन एवं उसका परिवहन करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

(6) संबंधित रेत खदान का नियंत्रण रखने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अभिवहन पास निर्धारित प्रारूप-एक में आवश्यक रायल्टी राशि जमा किये जाने पर जारी किये जायेंगे.

(7) अभिवहन पास की किताबें संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को कलेक्टर कार्यालय से राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुद्रण शुल्क जमा करने पर जारी किये जायेंगे. कलेक्टर्स को ये अभिवहन पास उनकी मांग के अनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये जायेंगे.

(8) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त रायल्टी की जानकारी संलग्न प्रारूप-दो में प्रतिमाह संबंधित जिले के कलेक्टर को उपलब्ध कराई जायेगी.

(9) संबंधित खदान पर नियंत्रण रखने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रेत के सुगम उत्खनन, परिवहन एवं खदान के समुचित रख-रखाव हेतु निम्नलिखित व्यवस्था करेंगी जिस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खदान से प्राप्त होने वाले रायल्टी की राशि से किया जाएगा :-

(क) मुख्य मार्ग से खदान तक जाने के लिये रैम्प का निर्माण तथा उसका समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत कराना.

(ख) खदान स्थल पर अभिवहन पास जारी करने एवं रायल्टी राशि एकत्रित करने की व्यवस्था करना.

(10) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 के तहत प्रतिबंधित स्थानों-

(क) किसी पुल से 75 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(ख) नदी के किनारों, किसी प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या जल परिवहन करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(11) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 में प्रावधानित निम्नलिखित छूटों का पालन रेत उत्खनन के मामलों में भी करेंगे :-

(क) अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य, या उनकी ऐसी सहकारी सोसायटियां जो परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन, ईंट बनाती है, को इन उपरोक्त कार्यों हेतु रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

(ख) स्वतः के निवास गृह निर्माण, कुओं के निर्माण या मरम्मत या अन्य कृषि कार्य के लिए ग्रामों में रहने वाले कृषक, ग्रामीण कारीगर और मजदूरों को रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

(ग) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वतः कराये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

5. इन निर्देशों के अंतर्गत किन्हीं बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधान लागू माने जायेंगे.

6. इन निर्देशों के प्रभावशील होने के दिनांक से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में तत्समय ऐसे सभी निर्देश जो इन निर्देशों से असंगत हों, स्वमेव निरस्त माने जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

[illegible] के अन्तर्गत डाक
[illegible] भुगतान (बिना डाक
[illegible] हेतु अनुमत. क्रमांक
[illegible]/38 सि. से.
[illegible] 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक [illegible]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2006- भाद्र 2, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. -- खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 [illegible] 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज [illegible] 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात

//संशोधन//

उक्त नियमों में :–

(1) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के अध्याय तेरह के नियम 57 से 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् –

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

57. <u>अपील तथा अपीलीय प्राधिकारी</u>– (1) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा कोई शक्ति प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरावलोकन) नियम, 1995 में उल्लिखित प्राधिकारी को और उसमें यथानिर्दिष्ट रीति में की जाएगी ।

(2) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा कोई शक्ति प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ की होगी ।

(3) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में संचालक द्वारा प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील राज्य सरकार को होगी ।

(4) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश मूल आदेश की रीति में अपीलनीय होगी ।

(5) इन नियमों के अधीन कोई भी अपील संबंधित आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जायेगा और इस कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा ।

60. <u>अपील के लिए आवेदन</u>– (1) अपील आवेदन प्रारूप–इक्कीस(परिशिष्ट–1) में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ शासकीय कोषालय में एक सौ रूपये के कोषालय चालान की एक रसीद यह दर्शाते हुए की शासकीय कोषालय में लेखा शीर्ष–

0853 – खान और खनिज

800 – अन्य प्राप्तियां

0278 – छोटे खनिजों से प्राप्तियां–अर्थदण्ड एवं राजसातकरण सहित में भुगतान कर दिया गया है, संलग्न की जाएगी ।

(2) अपील आवेदन पर रूपये 10.00(दस रूपये) मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जायेगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान करने से इंकार किए जाने के विरूद्ध प्रत्येक आवेदन में, किसी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, पक्षकार बनाया जाएगा ।

(4) उप नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा आवेदन की उतनी अतिरिक्त प्रतियों, जितनें की उप नियम (3) के अधीन पक्षकार बनाये गये हैं, प्रस्तुत की जाएगी ।

61. <u>अपील आवेदन की प्रतिलिपियां संबंधित पक्षकारों को भेजा जाना</u>– आवेदन तथा उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी, आवेदन की प्रतिलिपि नियम 60 के उप नियम (3) के अधीन बनाये गये पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगा, जिस तारीख को या उसके पूर्व अपील आवेदन के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन यदि कोई हो, कर सकेगा.

62. <u>अपील आवेदन पर आदेश</u> – जहां इन नियमों के अधीन कोई अपील आवेदन प्रस्तुत किया जाता है वहां प्राधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

63. <u>स्थगन प्रदान करना</u> – अपीलीय प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दें सकेगा कि उस आदेश का निष्पादन जिसके विरूद्ध अपील आवेदन लंबित है, ऐसे समय के लिए, जैसा कि वह न्यायसंगत एवं उचित समझे, स्थगित किया जाय :

परन्तु यह कि खनन शोध्यों के वसूली के लिये कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्थगन चाहने वाले पक्षकार द्वारा भाटकों, स्वामित्वों तथा उन पर देय ब्याज की विवाद रहित रकम का भुगतान कर दिया गया हो और ऐसे भाटकों, स्वामित्व तथा ब्याज की विवादित रकम के लिए बैंक गारंटी नहीं दी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त कालावधि के पश्चात भी ऐसी कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी, यदि आवेदक उसका यह समाधान कर दे कि आवेदन समयावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था.

58. पुनरीक्षण– (1) राज्य सरकार तथा संचालक, किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

परन्तु, किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

59. आदेशों का पुनर्विलोकन– (1) संचालक या कलेक्टर, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे आदेश का जो स्वतः उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु–

(एक) संचालक किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह इसके लिए राज्य शासन से अनुमति अभिप्राप्त करेगा तथा यदि कलेक्टर या तो स्वयं द्वारा या किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का, पुनर्विलोकन करना प्रस्तावित करे तो, वह पहले संचालक की लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा,

(दो) किसी भी आदेश का तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं किया जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों का उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो,

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है, या तो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण कार्यवाहियां लंबित रहती है.

(2) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में उपबंधित किए गए आधारों पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

परिशिष्ट - 1

प्रपत्र - इक्कीस
[देखिये नियम 60 (1)]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

अपील के लिए आवेदन का आदर्श प्रपत्र

आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी का नाम और पता

द्वारा

प्राधिकारी का नाम आदेश का क्रमांक और दिनांक जिसके विरुद्ध अपील के लिए आवेदन दायर किया गया है (प्रति संलग्न है).

वह कारण जिसके लिए अपील के लिये आवेदन दायर किया गया है

कुल क्षेत्र का ब्यौरा जिसकी बाबत अपील आवेदन दायर किया गया है.

जिला	तहसील	ग्राम	पंचायत	खसरा क्रमांक तथा कुल क्षेत्र

(क्षेत्र/क्षेत्रों का नक्शा या मानचित्र संलग्न किया जाय)

क्या आवेदन की फीस विहित रीति से जमा की गई है. मूल रसीद संलग्न की जाय

क्या अपील के लिये आवेदन विनिर्दिष्ट समय में दायर किया गया है. यदि नहीं तो जैसा कि नियमों में उपबंधित है विहित सीमा में पेश न किए जाने का कारण

पक्षकार जो बनाये गये हैं, का नाम व पूरा पता

संलग्न की गई प्रतियों की संख्या

10\. अपील के आधार

11\. यदि अपील आवेदन मुख्तारनामा धारण करने वाले द्वारा दायर किया गया है तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाय.

स्थान -

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 24-08-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव

''पूर्व भुगतान के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी 2007—माघ 17, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. धारा 57 की उपधारा (3) में शब्द ''प्रत्येक आदेश'' के स्थान पर शब्द ''प्रत्येक मूल आदेश'' प्रतिस्थापित किये जावें.

2. धारा 57 की उपधारा (3) में (सिर्फ हिन्दी पाठ में) शब्द ''संचालक द्वारा'' के पश्चात् ''कोई शक्ति'' जोड़ा जावे.

पाद टिप्पण :- इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-7-7/2004/12, रायपुर, दिनांक 24-3-2006 के अधीन जारी पूर्व संशोधन के संबंध में.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12, दिनांक 05-02-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th February 2007

NOTIFICATION

No. F-7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Mineral Rules, 1996, namely :-

AMENDMENT

In the said Rule,—

1. In sub rule (3) Rule 57 for the words "every order" the words "every original order" shall be substituted.
2. In sub rule (3) Rule 57 (only in Hindi version) after the words "sanchalak dwara" the words "Koi shakti" shall be added.

Foot-note :- Relating to previous amendment issued under the Department notification No. F-7-7/2004/12, Raipur dated 24-08-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

शुद्धि पत्र

अधिसूचना क्र. एफ-7-7/2004/12.—दिनांक 24 अगस्त, 2006 के "छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण)" में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 (संशोधन) प्रकाशित किया गया है. अशुद्ध रूप में मुद्रित, निम्नलिखित सारणी में शब्द, अंक, वाक्य, मात्रा, विराम चिन्ह, कोष्ठक जो कॉलम सं. (4) में निर्दिष्ट है, के स्थान पर कॉलम संख्या (5) शुद्ध रूप में पढ़ा जावें.

सारणी

क्र. (1)	पृष्ठ क्रमांक (2)	पंक्ति क्र. (3)	अशुद्ध रूप (4)	शुद्ध रूप (5)
1.	2	13	छत्तीसगढ़ की होगा	छत्तीसगढ़ की होगी
2.	2	16	राज्य सरकार की होगी	राज्य सरकार की होगी
3.	2	18	अपीलनीय होगी	अपीलनीय होगा
4.	3	22	आदेश का	आवेदन की
5.	3	25	आदेश का	आदेश की
6.	4	22	उपांततरित	प्रत्यंतरित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

(d) except for mineral sand or bajri, within a distance of 100 metres from river banks, dam; 50 metres from nalas (small water course) canal or any natural water course or any water impounding structure.

Provided that the amended provisions shall be made applicable from the date of renewal of the existing quarry leases.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

"डिलीवरी पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 मई 2006—वैशाख 18, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त ...यों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियमों में,—

नियम 5 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं :—

(ग) जो किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेलपथ से 100 मीटर की दूरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिला सड़कों से 50 मीटर, तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर या किसी सार्वजनिक स्थान से 50 मीटर के भीतर प्रदान नहीं किया जावेगा.

परन्तु विद्यमान उत्खनिपट्टों के मामले में उक्त संशोधित प्रावधान इन उत्खनिपट्टों के नवीकरण के दिनांक से लागू किये जावेंगे.

(घ) नदी के किनारों तथा बांध से 100 मीटर के भीतर हो तथा नालों (पानी का छोटा प्रवाह), नहर या कोई प्राकृतिक जल स्रोत या कोई जल परिरुद्ध करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर हो, खनिज रेत तथा बजरी निकालने के सिवाय, प्रदान नहीं किया जावेगा.

परन्तु विद्यमान उत्खनिपट्टों के मामले में उक्त संशोधित प्रावधान इन उत्खनिपट्टों के नवीकरण के दिनांक से लागू किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12 दिनांक 6-5-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th May 2006

NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (c) and (d) of sub-rule (2) of Rule 5, the following shall be substituted :—

(c) Within a distance of 100 metres from any bridge, national/state highway, railway line, 50 metres from the road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, other District Roads of Public Works Department; and 10 metres from grameen kachcha rasta; or 50 metres from any public place;

Provided that the amended provisions shall be made applicable from the date of renewal of the existing quarry leases.

20/Sept/2010
List as minor mineral

[illegible] सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित मंडी समिति के निर्वाचन के लिए कॉलम (3) में पदाभिहित अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग आफिसर तथा कॉलम (4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने के लिये, जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत करता है तथा यह निदेश देता है कि रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर का अधिकार क्षेत्र, सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित क्षेत्र होगा :—

क्र.	मंडी समिति	अधिकारी का पदनाम जिसे रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दुबे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची—एक के अनुक्रमांक-4 के बाद निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"4 (क) भवन एवं सड़क निर्माण के रूप में लाये जाने वाले निम्न श्रेणी चूनापत्थर"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

"बिलासपुर पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

31/12/2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012—पौष 10, शक 1934

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 29 की अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

स. क्र. (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाईट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लैब्स एवं टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है :—	
	(क) काला रंग	1500/- प्रति घ.मी.
	(ख) अन्य रंग	500/- प्रति घ.मी.

(1)	(2)	(3)
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लैब्स एवं टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है.	750/- प्रति घ.मी.
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	350/- प्रति घ.मी.
4.	फ्लैगस्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फ्लोरिंग के लिए किया जाता है	103/- प्रति घ.मी.
5.	साधारण रेत, बजरी	20/- प्रति घ.मी.
6.	मुरुम	20/- प्रति घ.मी.
7.	पत्थर :— (क) बोल्डर (ख) गिट्टी, रोडमेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	103/- प्रति घ.मी.
8.	मिट्टी-ईंट एवं टाईल्स बनाने के लिए	20/- प्रति घ.मी.
9.	अन्य गौण खनिज	40/- प्रति घ.मी."

2. ये संशोधित दरें दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रवृत्त होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 31-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2012

NOTIFICATION

No. 7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further

amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For Schedule-III of Rule 29, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	1500/- per cu.mt.
	(b) Other colour	500/- per cu.mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimension.	750/- per cu.mt.
3.	Marble stone for other purpose	350/- per cu.mt.
4.	Flagstone natural sedimentary rock which is used for flooring	103/- per cu.mt.
5.	Ordinary Sand, bajri	20/- per cu.mt.
6.	Murrum	20/- per cu.mt.
7.	Stone :— (a) Boulder (b) Gitti, roadmetal (c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	103/- per cu.mt.
8.	Soil-for making bricks and tiles	20/- per cu.mt.
9.	Other minor minerals	40/- per cu.mt."

2. These amended rates shall come into force from the date 1st January, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी 2013—माघ 9, शक 1934

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का 67) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 10 के उप-नियम (1) में शब्द एवं अंक "रु. 250.00 (रु. दो सौ पचास)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 1000 (रु. एक हजार)" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 10 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(3) फीस की रकम शासकीय कोषालय में आगम प्राप्ति शीर्ष—

0853	अलौह धातु खान और धातुकर्म उद्योग
102	खनिज संबंधी रियायती फीस, किराया और स्वामित्व (रायल्टी)
0278	छोटे खनिजों से प्राप्तियां

में जमा की जायेगी तथा मूल कोषालय रसीद (चालान) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा."

3. नियम 15 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) उत्खनन पट्टे के आवेदन पत्रों का रजिस्टर तथा उत्खनन पट्टों का रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित फीस का भुगतान करने पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा :—

रु. 50.00 (रुपये पचास) पहले घण्टे या उसके भाग के लिए;

रु. 50.00 (रुपये पचास) पश्चात्वर्ती घण्टे या उसके भाग के लिए."

4. नियम 25 के उप-नियम (1) में शब्द "रु. एक हजार" के स्थान पर शब्द "रु. दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 27 के उप-नियम (1) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"सारणी

स. क्र.	क्षेत्र	शुल्क की दरें
(क)	20 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्र	न्यूनतम रु. 1000/- (रुपये एक हजार) के अध्यधीन रहते हुए रु. 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए
(ख)	20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र	रु. 1000/- (रुपये एक हजार) प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए"

6. नियम 30 में,—

(1) उप-नियम (8) में, शब्द एवं अंक "रु. 200.00" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रु. 500/- (रुपये पांच सौ)" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) उप-नियम (16) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "रुपये पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) उप-नियम (20) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(घ) प्रकरण में यदि पट्टेदार, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में यथा निर्धारित समयावधि/तिथि में जानकारी (विवरणी) प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो रु. 500/- (रुपये पांच सौ) प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति तब तक अधिरोपित की जाएगी, जब तक कि वह उक्त जानकारी (विवरणी) प्रस्तुत नहीं करता है."

7. नियम 35 के उप-नियम (1) के परन्तुक में शब्द एवं अंक "रु. 1000.00 (रुपये एक हजार) के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 10,000/- (रुपये दस हजार)" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. नियम 53 में,—

(1) उप-नियम (1) में, शब्द "रुपये पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये पच्चीस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) उप-नियम (5) में, शब्द "रुपये एक हजार" के स्थान पर, शब्द "रुपये पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) उप-नियम (5) के परन्तुक में, शब्द "रुपये पांच सौ" के स्थान पर शब्द "रुपये एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

9. नियम 56 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"56. **राजस्व का जमा किया जाना.—**

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायतों के नियंत्रण के अंतर्गत गौण खनिज से प्राप्त राजस्व ब्याज सहित नियम 10 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर, यदि विधान सभा ने विनियोग

के द्वारा ऐसा उपबन्ध किया है, तो संचित निधि से ऐसी समस्त रकम आहरित करेगी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों के राजस्व से प्राप्त हुई हो और जिसका संवितरण किया जाना है.

(2) उप-नियम (1) के अनुसार आहरित राशि, गौण खनिज के उत्खनन एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया एवं निर्देश के अनुसार वितरित की जायेगी.

(3) उपरोक्त उप-नियम (1), गौण खनिज "रेत" से प्राप्त राजस्व जो कि सीधे संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत या पंचायतों में जमा होता है, पर लागू नहीं होगा.

10. नियम 60 के शीर्षक एवं उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"60. **अपील के लिए आवेदन.**—

(1) आवेदन, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप इक्कीस में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा. अपील के लिये आवेदन के साथ कोषालय रसीद यह दर्शाते हुए संलग्न की जायेगी कि एक हजार रुपये का शुल्क लेखा के शीर्ष —

0853	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
102	खनिज संबंधी रियायती फीस, किराया और स्वामित्व (रायल्टी)
0278	छोटे खनिजों से प्राप्तियां

के अंतर्गत शासकीय कोषालय में जमा कर दिया गया है और मूल कोषालय रसीद (चालान) आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी."

11. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 28-1-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 28th January 2013

NOTIFICATION

No. 7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of rule 10 for the words and figures "Rs. 250/- (Rs. Two Hundred Fifty)" the words and figures "Rs. 1000/- (Rs. One Thousand)" shall be substituted.

2. For sub-rule (3) of rule10, the following shall be substituted, namely :—
"(3) The amount of fee shall be deposited in the Government Treasury under the revenue receipt head

0853	Non ferrous Mining and Metallurgical Industry
102	Mineral concession fees, rent and royalties
0278	Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt (challan) shall be attached to the application."

3. For sub-rule (2) of rule 15, the following shall be substituted, namely :—
"(2) The register of application for quarry leases and the register of quarry leases shall be open for inspection by any person on payment of the following fee :—

Rs. 50.00 (rupees fifty) for the first hour or part thereof;

Rs. 50.00 (rupees fifty) for subsequent hour or part thereof."

4. In sub-rule (1) of rule 25, for the words "Rs. One thousand", the words "Rs. ten thousand" shall be substituted.

5. For the table of sub-rule (1) of rule 27, the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

S. No.	Area	Rates of fees
(a)	Area not exceeding 20 hectares	Rs. 500/- (rupees five hundred) per hectare or part thereof subject to a minimum of Rs. 1000/- (rupees one thousand)
(b)	Area exceeding 20 hectares	Rs. 1000/- (repees one thousand) per hectare or part thereof"

6. In rule 30.—
(1) In sub-rule (8), for the words and figure "Rs. 200/- (Rupees Two Hundred", the words and figure "Rs. 500/- (rupees five hundred)" shall be substituted.

(2) In sub-rule (16), for the words "rupees one thousand", the words "rupees five thousand" shall be substituted.

(3) After clause (c) of sub-rule (20) the following shall be added, namely :—
"(d) In case if leassee fails to submit the information in period/date as prescribed in clause (a), (b) and (c), a penalty of Rs. 500/- (rupees five hundred) per month or part thereof may be imposed till he produces the said information."

7. In proviso to sub-rule (1) of rule 35, for the words and figure "Rs. 1000/- (Rupees One Thousand)", the words and figure "Rs. 10,000/- (rupees ten thousand)" shall be substitued.

8. In rule 53.—
(1) In sub-rule (1), for the words "five thousand rupees", the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

(2) In sub-rule (5), for the words "rupees on thousand", the words "rupees five thousand" shall be substituted.

(3) In proviso to sub-rule (5), for the word and figure 'Rs. 500/-", the words "rupees one thousand" shall be substituted.

9. For rule 56, the following shall be substituted, namely:—

"56. **Deposit of revenue.—**

(1) The revenue with interest from minor minerals under the provisions of these rules within the control of Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat or Panchayats, shall be first deposited in the Consolidated Fund of the State as per sub-rule (3) of rule 10. The State Government at the beginning of the financial year, if the Legislative Assembly has provided by an appropriation, shall draw from the Consolidated Fund all such amount which is to be distributed from the revenue of the minor minerals received in the preceding financial year.

(2) The amount drawn as per sub-rule (1), shall be distributed for development of the areas affected by quarrying and related operaiton of minor minerals as per the directions and procedure prescribed by the State Government.

(3) Above sub-rule (1) shall not apply to the revenue received from minor meneral "Sand" which is directly deposited to the Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat or Panchayats.

10. For heading and sub-rule (1) of rule 60, the following shall be substituted, namely : —

"60. **Application for appeal.—**

(1) An application shall be made in triplicate in FORM XXI appended to these rules. The application for appeal shall be accompanied by a treasury receipt showing that a fee of one thousand rupees has been paid in to Government Treasury under the head of Account

0853	Non ferrous Mining and Metallurgical Industry
102	Mineral concession fees, rent and royalties
0278	Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt (challan) shall be attached to the application."

11. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई.दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2013—कार्तिक 16, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7 –7/2004/12 .— राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 02-03-2006 द्वारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 जारी किये गये हैं.

2. नदियों के संरक्षण एवं रेत खनन से नदी तट को हो सकने वाली संभावित क्षति को ध्यान में रखते हुए नदी के क्षेत्र में रेत के उत्खनन/खनन को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 की कंडिका-10 को निम्नलिखित कंडिका-10 के अनुक्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती है :-

कंडिका-(10) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि-

(क) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 के तहत प्रतिबंधित स्थानों पर रेत का उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(ख) किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 100 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा.

(ग) किसी प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(घ) नदी के दोनों तट से 03 मीटर के भीतर रेत का उत्खनन नहीं किया जाएगा.

(ङ) सतह से 03 मीटर की गहराई अथवा नदी में बेडरॉक (Bed rock) तक ही रेत का उत्खनन किया जाएगा. उसके नीचे रेत का उत्खनन नहीं किया जाएगा.

3. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.